भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4230

(दिनांक 13.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

एनएफडीसी

4230. श्री बैन्नी बेहननः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) की उपयोगिता समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों के दौरान भारत के फिल्म क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई योजनाएं कौन-सी हैं; और

(ग) क्या एनएफडीसी ने निकट भविष्य में किन्हीं कंपनियों के साथ सह-निर्माण की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क): जी, नहीं।

(ख): राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सहायता से निम्नलिखित स्कीम प्रारंभ की हैं:

(i) **<u>विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण</u>**

2016 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने ''विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण'' स्कीम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ करार किया। एनएफडीसी द्वारा यह कार्यकलाप सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ''फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार'' नामक स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें एनएफडीसी विभिन्न भारतीय भाषाओं में उन फिल्मों का निर्माण और सह-निर्माण करता है जो भारतीय सिनेमा को प्रस्तुत करती हैं। एनएफडीसी भारत और विदेश दोनों के निजी निर्माताओं के साथ भागीदारी करके उत्तम गुणवत्ता की फिल्मों का एक साथ सह-निर्माण करते समय पहली बार फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को उनकी पहली फीचर फिल्म का 100% निर्माण करके प्रोत्साहित करता है।

(ii) **<u>फिल्म सुविधा कार्यालय- भारत में फिल्म बनाना आसान करना</u>**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकार की ''कारोबार करना आसान बनाना'' नीति के अंतर्गत उन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, जो भारत में अपनी फीचर फिल्मों, टीवी/वेब शो और सीरीज एवं रियेलिटी टीवी/वेब शो और सीरीज शूट करना चाहते हैं, के लिए, दिसंबर, 2015 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) स्थापित किया है। इस प्रकार एफएफओ का ''भारत में

फिल्म'' का दायित्व भारत को फिल्म बनाने के केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। नवंबर, 2018 में इसके वेबसाइट पोर्टल www.ffo.gov.in के शुभारंभ के साथ, एफएफओ ने एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सुविधा और स्वीकृति तंत्र स्थापित किया है, जिससे विदेशों से फिल्म निर्माताओं के लिए, भारत में फिल्म बनाने/शूटिंग करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसी परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने पर, विदेश में भारतीय मिशन, परियोजना दल को फिल्म वीजा प्रदान करते हैं। एफएफओ वेब पोर्टल ने भारतीय फिल्म निर्माताओं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न स्थानों में फिल्म बनाना चाहते हैं, से भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ किया है।

(ग): जी, हां। एनएफडीसी ने श्री पैन नलिन द्वारा निर्देशित फिल्म ''बियोण्ड दी नोन वर्ल्ड'' का सह-निर्माण किया है, जो भारत और न्यूजीलैण्ड की सरकारों के बीच ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण पर करार के अंतर्गत मान्यता दी जाने वाली पहली फीचर फिल्म है।

एनएफडीसी ने 2018-19 और 2019-20 में निम्नलिखित फीचर फिल्मों को भी चालू किया है।

- निर्माण - कोरंगी नंची (तेलुगू) और छाद (बंगाली), जिन्हें पहली बार फीचर फिल्म बनाने वाले निर्माताओं द्वारा निर्देशित किया गया है।

- सह-निर्माण- लाल माटी (मराठी), लोनक (हिंदी), जोसेफ की माचा (मणिपुरी), पेड पे कमरा (डोगरा), एक लाल कमीज (छत्तीसगढ़ी)।

अप्रैल, 2017 में बंगलादेश की माननीया प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दोनों देश बंगबंधु, शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कृतियों पर एक फीचर फिल्म का संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी), भारत और बंगलादेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड (बीएफडीसी), बंगलादेश को इस फिल्म का कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया है।

*****